

लय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

संख्या :- 134 / 2021

दायर दिनांक: 28.09.2021

NO:- 2021/299

श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

1. कजोडी बाई पत्नि स्व. प्रभू जाति धाकड निवासी नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
2. महावीर प्रसाद आ0 स्व. प्रभू जाति धाकड निवासी नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
3. मांगीलाल आ0 भवना जाति धाकड निवासी नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
4. रूकमणी पुत्री प्रभू जाति धाकड निवासी नैनवाँ हाल पता पत्नि पप्पू जाति धाकड निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
5. राधा बाई पुत्री प्रभू जाति धाकड निवासी नैनवाँ हाल पता पत्नि महावीर जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
6. राधाकिशन आ0 गोपाल जाति धाकड निवासी भावपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।

-वादीगण-

बनाम

1. पंकज जैन आ0 महावीर प्रसाद जैन जाति महाजन निवासी नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
2. उस्मान गनी आ0 अब्दुल करीम जाति मुसलमान निवासी नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति:-

1. वादीगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी।
2. प्रतिवादीगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र नागर।

निर्णय दिनांक 03.07.2023

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवाँ प्रथम तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 84 पुराना 663 के अनुसार खसरा संख्या 445 रकबा 1.1002 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल लगानी 1.65/- रुपये स्थित है। यह कि ग्राम नैनवाँ प्रथम तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 86 पुराना 664 के अनुसार खसरा संख्या 550 रकबा 1.6180 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल लगानी 1.62/- रुपये स्थित है। यह कि ग्राम नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 85 पुराना 662 के अनुसार खसरा संख्या 553 रकबा 1.8850 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 554 रकबा 1.7798 किस्म बारानी तृतीय कुल कित्ता 2 कुल रकबा 3.6648 हेक्टेयर कुल लगानी 3.67/- रुपये स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादिया संख्या 1 कजोडी की संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 2 महावीर प्रसाद का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 3 मांगीलाल का संयुक्त हिस्सा 1/20, वादिया संख्या 4 रूकमणी का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादिया संख्या 5 राधाबाई का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 6 राधाकिशन का संयुक्त हिस्सा 157/500 एवं प्रतिवादी संख्या 1 पंकज जैन का संयुक्त हिस्सा 93/500 तथा स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में वादिया संख्या 1 कजोडी की संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 2 महावीर प्रसाद का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 3 मांगीलाल का संयुक्त हिस्सा 1/20, वादिया संख्या 4 रूकमणी का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादिया संख्या 5 राधाबाई का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 6 राधाकिशन का संयुक्त हिस्सा 157/500 एवं प्रतिवादी संख्या 1 पंकज जैन का संयुक्त हिस्सा 93/500 तथा स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि की वादिया संख्या 1 कजोडी का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 2 महावीर प्रसाद का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 3 का संयुक्त हिस्सा 1/20, वादिया संख्या 4 रूकमणी का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादिया संख्या 5 राधाबाई का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 6 राधाकिशन का संयुक्त हिस्सा



प्रतिवादी संख्या 1 पंकज जैन का संयुक्त हिस्सा 93/500 तथा प्रतिवादी संख्या 7 गनी का संयुक्त हिस्सा 1/4 स्थित है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमियों का रूप से राजस्व रिकार्ड में विभाजन करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने का कर दिया जिससे वादीगण को अपने खाते की भूमि का सदुपयोग करने सही रूप से कृषि करने एवं खेत का विकास करने तथा ऋण आदि लेने में काफी परेशानी आती है। प्रतिवादीगण दिनांक 03/09/2021 को भी बंटवारा करने से मना कर दिया था इस कारण वाद कारण दिनांक 03/09/2021 को उदित हुआ। अतः वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि विवादित भूमियों का विधिवत विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर किया जाकर खाते अलग अलग किये जाए। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमियों पर अनुचित हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से ऐसा करावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, राजीनामा प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की वाद पत्र में बहस सुनी जाकर वाद पत्र में दिनांक 02.11.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार नैनवां द्वारा बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 03.05.2023 प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार किया गया:-

क्र० सं०	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर
1.	कजोडी पत्नी स्व० प्रभू महावीर पि० प्रभू रूकमणी पुत्री प्रभू राधाबाई पुत्री प्रभू मांगीलाल पुत्र भवाना जाति धाकड़ सा० देह	550 553 कुल किता-2	1.6180 1.5614 कुल रकबा-3.1794
2.	राधाकिशन पि० गोपाल कोम धाकड़ सा० भावपुरा	445 कुल किता-1	1.1002 कुल रकबा-1.1002
3.	उस्मान गनी पि० अब्दुल करीम कोम मुसलमान	553/1 554 कुल किता-2	0.3236 0.5905 कुल रकबा-0.9141
4.	पंकज जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन कौम महाजन सा० नैनवां	554/1 कुल किता-1	1.1893 कुल रकबा-1.1893

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा वाद पत्र में अंतिम बहस सुनी गयी। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदान नैनवां द्वारा प्रस्तावित बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार वाद अंतिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम नैनवां प्रथम तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 84 पुराना 663 के अनुसार खसरा संख्या 445 रकबा 1.1002 हेक्टेयर, जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 86 पुराना 664 के अनुसार खसरा संख्या 550 रकबा 1.6180 हेक्टेयर तथा जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 85 पुराना 662 के अनुसार खसरा संख्या 553 रकबा 1.8850 हेक्टेयर भूमियों का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है-

क्र० सं०	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर
1.	कजोडी पत्नी स्व० प्रभू महावीर पि० प्रभू रूकमणी पुत्री प्रभू राधाबाई पुत्री प्रभू मांगीलाल पुत्र भवाना जाति धाकड़ सा० देह	550 553 कुल किता-2	1.6180 1.5614 कुल रकबा-3.1794
2.	राधाकिशन पि० गोपाल कोम धाकड़ सा० भावपुरा	445 कुल किता-1	1.1002 कुल रकबा-1.1002
	उस्मान गनी पि० अब्दुल करीम कोम मुसलमान	553/1	0.3236



	554 कुल किता-2	0.5905 कुल रकया-0.9141
4. पंकज जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन कौम महाजन सा0 नैनवां	554/1 कुल किता-1	1.1893 कुल रकया-1.1893

नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के विभाजन से हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही किसी से करवायें। तहसीलदार नैनवां को डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

अंतिम डिक्री ब मुकदमें इत्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ ब इजलारा पीठासीन अधिकारी:- श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर
- कजोडी बाई पत्नि स्व. प्रभू जाति धाकड निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
 - महावीर प्रसाद आ0 स्व. प्रभू जाति धाकड निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
 - मांगीलाल आ0 भवाना जाति धाकड निवासी नैनवां जिला बून्दी राज0।
 - रुकमणी पुत्री प्रभू जाति धाकड निवासी नैनवां हाल पता पत्नि पप्पू जाति धाकड निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
 - राधा बाई पुत्री प्रभू जाति धाकड निवासी नैनवां हाल पता पत्नि महावीर जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
 - राधाकिशन आ0 गोपाल जाति धाकड निवासी भावपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
- वादीगण-

बनाम

- पंकज जैन आ0 महावीर प्रसाद जैन जाति महाजन निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
 - उस्मान गनी आ0 अब्दुल करीम जाति मुसलमान निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
 - भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवां जिला बून्दी।
- प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी एक्ट

वाद संख्या:-134/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रुहमारे.....बहाजरी वादी के अभिभाषक मिनजानिव मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि:-
ग्राम नैनवां प्रथम तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 84 पुराना 663 के अनुसार खसरा संख्या 445 रकबा 1.1002 हेक्टेयर, जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 86 पुराना 664 के अनुसार खसरा संख्या 550 रकबा 1.6180 हेक्टेयर तथा जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 85 पुराना 662 के अनुसार खसरा संख्या 553 रकबा 1.8850 हेक्टेयर भूमियों का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-




क्र0 सं0	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर
1.	कजोडी पत्नी स्व0 प्रभू महावीर पि0 प्रभू रुकमणी पुत्री प्रभू राधाबाई पुत्री प्रभू मांगीलाल पुत्र भवाना जाति धाकड सा0 देह	550 553 कुल किता-2	1.6180 1.5614 कुल रकबा-3.1794
2.	राधाकिशन पि0 गोपाल कोम धाकड सा0 भावपुरा	445 कुल किता-1	1.1002 कुल रकबा-1.1002
3.	उस्मान गनी पि0 अब्दुल करीम कोम मुसलमान	553/1 554 कुल किता-2	0.3236 0.5905 कुल रकबा-0.9141
4.	पंकज जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन कोम महाजन सा0 नैनवां	554/1 कुल किता-1	1.1893 कुल रकबा-1.1893

नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही किसी से करवायें। तहसीलदार नैनवां को डिक्री पर्चा जारी हो।



आंशिक नक्शा टुकड़ा ग्राम - नैतवां प्रथम
 तहसील - नैतवां
 जिला - बून्दी (राज.)

परिशिष्ट - 3



उपखण्ड अधिकारी
 नैतवां (बून्दी)

राजकार्य टुकड़ा कि. शुल्क जारी
 शहद प्रतिष्ठित

[Signature]
 1-1-22

I मंगलचंद नैतवां. गदावीर उपाय नैतवां

II उल्मान गनी. उलुत नैतवां 322

III राधादेव नैतवां. गीपार उपाय 21/12/22

IV कलौडी, मदावीर इकबाली नैतवां राधादेव नैतवां
 आंगीलाल नैतवां. गलावा नैतवां

[Signature]

देवलाल गुर्जर तहसीलदार (भू0अ0) नैतवां

पटवारी
 पटवारी मण्डल नैतवां
 बडो नैतवां (बून्दी)

जिला बून्दी (राज0)

शहद उपाय